B-10-199/19/4-2

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 05/07/2019

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **15/07/2019** विभाग का नाम : **किसान कल्याण तथा कृषि विकास**

विषय : **मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना ।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1217**) **श्रीइन्दर सिंह परमार**

क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्राहियों को किन-किन सहायताओं का लाभ किस आधार पर दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) हितग्राहियों के मंडी समिति को प्राप्त आवेदनों के भुगतान हेतु कौन सा नोडल विभाग उत्तरदायी है? सहायतावार जानकारी देवें। (ग) योजना में संशोधित दिनांक से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या सहायतावार देवें।

उत्तर :

ईमेल/विधान सभा तत्काल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.

कमांक/बोर्ड/यो./गै.तक./वि.स. 1217/तारां/343 **भोपाल, दिनांक 24.06.2019**

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय.................(समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि विधान सभा प्रश्न कमांक 1217 तारांकित का उत्तर अपनी अधीनस्थ मण्डी समितियों से प्राप्त किया जाकर आज ही पूरक जानकारी सहित अनिवार्य रूप से मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.........................जिला ....(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विधान सभा प्रश्न कमांक 1217 तारांकित का उत्तर आज ही पूरक जानकारी सहित अनिवार्य रूप से आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

24/6/19

संयुक्त संचालक (योजना)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.